

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2015—पौष 4, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-1(ए)61-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे., पुलिस उप महानिरीक्षक, पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 से 20 नवम्बर 2015 तक कुल चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 नवम्बर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे. को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप

महानिरीक्षक, पी.टी.आर.आई, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-1(ए)185-91-ब-2-दो.—श्री जी. पी. सिंह, भापुसे., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अअवि), भोपाल को

दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2015 तक छह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 19-20 एवं 27 दिसम्बर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम पार्ट 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा के तहत उन्हें कन्या कुमारी की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
1.	श्री जी. पी. सिंह	स्वयं
2.	श्रीमती निधि सिंह	पत्नी
3.	श्री उत्कर्ष	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री जी. पी. सिंह, भापुसे., को 10 दिवस के अवकाश नकदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नकदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) अवकाश अवधि में श्री जी. पी. सिंह, भापुसे., का चालू कार्य श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित करेंगे।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. सिंह, भापुसे., को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अअवि), भोपाल के पद पर पुनः-पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री जी. पी. सिंह, भापुसे., के द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-3 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाश काल में श्री जी. पी. सिंह, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. सिंह, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-1(ए)58-2012-ब-2-दो.—डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, खण्डवा को दिनांक 15 से 22 दिसम्बर 2015 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम पार्ट 2014-15 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा के तहत उन्हें त्रिवेन्द्रम (केरल) की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
1.	डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार	स्वयं
2.	श्रीमती मंजू सिंह	पत्नी
3.	कु. मयूना सिंह	पुत्री
4.	श्री यज्ञेश सिंह	पुत्र

(2) अवकाश अवधि में डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे., का चालू कार्य श्री गोपाल खाण्डेल, रापुसे., अति. पुलिस अधीक्षक, खण्डवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित करेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे., को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे., के द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाश काल में डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, 'अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-3535-015.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 6, 8, 19, 24, 25, 34, 36, 37, 43, 50, 51, 68, 72, 80, 92 एवं 104-ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
“2.	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट.	जोबट का विद्युत् क्षेत्र
6.	बालाघाट	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.	सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
8.	बड़वानी	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, बड़वानी.	सिविल जिला बड़वानी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 9 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
19.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव	नौगांव का विद्युत् क्षेत्र
24.	दतिया	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, दतिया.	सिविल जिला दतिया का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 25 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
25.	दतिया	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवदा	सेवदा का विद्युत् क्षेत्र
34.	खण्डवा	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा	सिविल जिला खण्डवा का संपूर्ण विद्युत् क्षेत्र
36.	गुना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, गुना.	सिविल जिला गुना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 37 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

37.	गुना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चांचोड़ा	चांचोड़ा का विद्युत् क्षेत्र
43.	होशंगाबाद	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर	सोहागपुर एवं पचमढ़ी का विद्युत् क्षेत्र
50.	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 8.	सिविल जिला जबलपुर का पश्चिम संभाग एवं ग्रामीण विद्युत् क्षेत्र.
51.	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9.	सिविल जिला जबलपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 52 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
68.	पन्ना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, पन्ना.	सिविल जिला पन्ना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
72.	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	सिविल जिला राजगढ़ का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 73, 74 एवं 74-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
80.	सागर	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर	सिविल जिला सागर एवं बण्डा के समस्त विद्युत् क्षेत्र.
92.	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी	ब्यौहारी का विद्युत् क्षेत्र
104-ए	उज्जैन	नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	सिविल जिला उज्जैन के समस्त शहरी विद्युत् क्षेत्र."

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-3535-015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 24th September, 2010.:

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 2, 6, 8, 19, 24, 25, 34, 36, 37, 43, 50, 51, 68, 72, 80, 92 & 104-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)
"2.	Alirazpur	Additional Sessions Judge, Jobat	Electricity area of Jobat
6.	Balaghat	IIInd Additional Sessions Judge, Balaghat	All Electricity area of Civil District Balaghat (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at Serial Number 7).

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Barwani	Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Barwani.	All Electricity area of Civil District Barwani (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 9).
19.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Nowgaon	Electricity area of Nowgaon
24.	Datia	Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Datia.	All Electricity area of Civil District Datia (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 25).
25.	Datia	Additional Sessions Judge, Seondha.	Electricity area of Seondha.
34.	Khandwa	III rd Additional Sessions Judge, Khandwa.	All Electricity area of Civil District Khandwa (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 35).
36.	Guna	Special Judge Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Guna.	All Electricity area of Civil District Guna (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 37).
37.	Guna	Additional Sessions Judge, Chachoda	Electricity area of Chachoda
43.	Hoshangabad	Ist Additional Sessions Judge, Hoshangabad	Electricity area of Sohagpur and Pachmadi
50.	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Special Court No. 8.	Electricity area of West Division & Rural area of Civil District, Jabalpur.
51.	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Special Court No. 9.	All Electricity area of Civil District Jabalpur (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 50 & 52).
68.	Panna	Special Judge Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Panna.	All Electricity area of Civil District Panna (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 69).
72.	Rajgarh	I st Additional Sessions Judge, Rajgarh	All Electricity area of Civil District Rajgarh (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 73, 74 & 74-A).
80.	Sagar	III rd Additional Sessions Judge, Sagar	All Electricity area of Civil District Sagar and Banda.
92.	Shahdol	Additional Sessions Judge, Beohari	Electricity area of Beohari
104-A.	Ujjain	IX th Additional Sessions Judge, Ujjain	All Urban Electricity area of Civil District Ujjain."

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-3535-2015.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 6, 8, 19, 24, 25, 36, 37, 43, 51, 68, 72, 80, 92 एवं 104-ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात् :—

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“2.	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट.	श्री दगडू सिंह चौहान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट.
6.	बालाघाट	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.	श्री माखन लाल झोड़, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.
8.	बड़वानी	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ/ अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, बड़वानी.	श्री अखिलेख जोशी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, बड़वानी.
19.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव	श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव.
24.	दतिया	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ/ अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, दतिया.	श्री बी. एस. ओहरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ / अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, दतिया.
25.	दतिया	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवड़ा	श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवड़ा.
34.	खण्डवा	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा	श्री प्रकाश चन्द्रा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.
36.	गुना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ/ अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, गुना.	श्री अमरनाथ, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ / अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 गुना.
37.	गुना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चांचोड़ा	श्री विजय सिंह कवाछा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चांचोड़ा.
43.	होशंगाबाद	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर	श्री के. एस. शाक्य, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर.
51.	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9.	श्री धरम पाल सिंह शिवाच, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 9.

(1)	(2)	(3)	(4)
68.	पन्ना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, पन्ना.	श्री आर. एन. चौधरी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ / अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पन्ना.
72.	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	श्रीमती विभावरी जोशी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.
80.	सागर	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर	श्री योगेश कुमार गुप्ता, तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर.
92.	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी	श्री राजदीप सिंह ठाकुर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी.
104-ए	उज्जैन	नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	कु. जसवीर कौर सासन, नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन."

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-3535-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 24th September, 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Table, for serial number 2, 6, 8, 19, 24, 25, 34, 36, 37, 43, 51, 68, 72, 80, 92 and 104-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	Alirazpur	Additional Sessions Judge, Jobat	Shri Dagdoo Singh Chouhan, Additional Sessions Judge, Jobat.
6.	Balaghat	II nd Additional Sessions Judge, Balaghat	Shri Makhan Lal Jhod, II nd Additional Sessions Judge, Balaghat.
8.	Barwani	Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Barwani.	Shri Akhilesh Joshi, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Barwani.
19.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Nowgaon	Shri Shailendra Kumar Nagotra, Additional Sessions Judge, Nowgaon.
24.	Datia	Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Datia.	Shri B.S. Ohriya, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Datia.
25.	Datia	Additional Sessions Judge, Seondha	Shri Anoop Kumar Tripathi, Additional Sessions Judge, Seondha.

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	Khandwa	III rd Additional Sessions Judge, Khandwa.	Shri Prakash Chandra, III rd Additional Sessions Judge, Khandwa.
36.	Guna	Special Judge Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Guna.	Shri Amarnath, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Guna.
37.	Guna	Additional Sessions Judge, Chachoda	Shri Vijay Singh Kawacha, Additional Sessions Judge, Chachoda.
43.	Hoshangabad	1st Additional Sessions Judge, Sohagpur.	Shri K. S. Shakya, 1 st Additional Sessions Judge, Shohagpur.
51.	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Special Court No. 9.	Shri Dharam Pal Singh Shivach, Additional Sessions Judge, Special Court No. 9.
68.	Panna	Special Judge Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Panna.	Shri R. N. Choudhary, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Panna.
72.	Rajgarh	1 st Additional Sessions Judge, Rajgarh	Smt. Vibhawari Joshi, 1 st Additional Sessions Judge Rajgarh.
80.	Sagar	III rd Additional Sessions Judge, Sagar	Shri Yogesh Kumar Gupta, III rd Additional Sessions Judge, Sagar.
92.	Shahdol	Additional Sessions Judge, Beohari	Shri Rajdeep Singh Thakur, Additional Sessions Judge, Beohari.
104-A.	Ujjain	IX th Additional Sessions Judge, Ujjain	Ku. Jasveer Kaur Sasan, IX th Additional Sessions Judge, Ujjain. ”.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 17 (ई) 44-2013-इक्कीस-ब(एक)-3533-15.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008(2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक-ब(एक)-3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी. निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 31, 42 एवं 44 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
“31.	सागर	श्री संजीव दत्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सागर.

(1)	(2)	(3)
42.	उज्जैन	श्री एन. पी. सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन
44.	मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़)	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़)."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No.17(E)-44-2013-XXI-B(one)-3533-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. B(1)-3476-2013, dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 20th September 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification in the Table, for serial No. 31, 42 and 44 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
"31.	Sagar	Shri Sanjeev Dutta, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sagar.
42.	Ujjain	Shri N. P. Singh, Additional Sessions Judge, Ujjain
44.	West Nimar Mandleshwar.	Shri Surendra Kumar Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, West Nimar Mandleshwar."

This amendment shall come into force from the date on which the judge, as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)-3552-15.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में अनुक्रमांक 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
" 10.	सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	छतरपुर."

F. No. 1-1-88-XXI-B(1)-3552-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No.-1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October, 2009, which was published

in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 6th November, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 10 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
"10.	Sessions Judge, Chhatarpur	Chhatarpur."

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब-(एक) 3534-2015.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2, 9 एवं 27 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	श्री एन. पी. सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन
9.	श्री संजीव दत्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सागर.	सागर	सागर
27.	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मण्डलेवर (पश्चिम निमाड़)	मण्डलेवर (पश्चिम निमाड़)	मण्डलेवर (पश्चिम निमाड़)''.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B(1) 3534-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B(1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule, for serial numbers 2, 9 and 27 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	Shri N. P. Singh, Additional Sessions Judge, Ujjain.	Ujjain	Ujjain
9.	Shri Sanjeev Dutta, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sagar.	Sagar	Sagar
27.	Shri Surendra Kumar Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Mandleshwar West Nimar.	Mandleshwar West Nimar.	Mandleshwar West Nimar."

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 3(बी) 2-2014-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 01).—राज्य शासन, श्री मोहित कुमार श्रीवास्तव, पिता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह है. उसकी जन्मतिथि 29 जुलाई 1987 है.

फा. क्र. 3(ए) 05-2015-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 05).—राज्य शासन, एतद्वारा श्री हितेन्द्र द्विवेदी पिता श्री महेन्द्र द्विवेदी को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5 (1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 है, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है. उसकी जन्मतिथि 10 सितम्बर 1977 है.

फा. क्र. 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब(एक) (मेरिट क्र. 10).—राज्य शासन, कु. प्रियंका मालपानी, पिता श्री जगदीश मालपानी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर)के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है. उसकी जन्मतिथि 10 अप्रैल 1988 है.

फा. क्र. 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब(एक) (मेरिट क्र. 13).—राज्य शासन, कु. अनुष्का शर्मा, पिता श्री अशोक शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर)के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर है. उसकी जन्मतिथि 21 अक्टूबर, 1990 है.

फा. क्र. 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब(एक) (मेरिट क्र. 38).—राज्य शासन, कु. बिंदिया दुबे, पिता श्री रामकृपाल दुबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर)के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट है. उसकी जन्मतिथि 05 जुलाई 1985 है.

फा. क्र. 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब(एक) (मेरिट क्र. 52).—राज्य शासन, श्री अक्षत तायल, पिता श्री प्रदीप तायल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर)के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला गुना है. उसकी जन्मतिथि 10 जून 1988 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 1(बी)25-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रूप सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री अजय सिंह राठौड़ अधिवक्ता जिला उज्जैन को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व के लिये एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अधिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

पंजी क्र. 2673-2015-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक 17(ई)204-77-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 4 नवम्बर 2003 द्वारा जिला-मुख्यालय, उज्जैन में नियुक्त नोटरी,

श्री बालकृष्ण वर्मा का दिनांक 19 जनवरी 2015 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है।

पंजी क्र. 2673-2015-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 17(ई)72-2013-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 15 दिसम्बर 1995 द्वारा जिला-मुख्यालय, उज्जैन में नियुक्त नोटरी, श्री बाबूलाल गुप्ता का दिनांक 01 जनवरी 2013 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है।

पंजी क्र. 2673-2015-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक 17(ई)204-77-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 30 जून 1982 द्वारा जिला-मुख्यालय, उज्जैन में नियुक्त नोटरी, श्री बालमुकुंद जैन का दिनांक 8 दिसम्बर 2013 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है।

पंजी क्र. 2571-2015-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 17(ई)95-79-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 18 अप्रैल 1983 द्वारा तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ में नियुक्त नोटरी, श्री पुरुषोत्तम दास बागडी का दिनांक 3 अप्रैल 2015 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. मुकाती, अवर सचिव.

आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2015

क्र. एफ 23-6-2004-3-पच्चीस.—मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री नरेन्द्र मरावी को मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष को रूप में आगामी आदेश तक नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मीनाक्षी मालवीय, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. एफ ए 6-6-2014-1-पांच.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री कमल सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर

को मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उपधारा (5) में किए गये प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में न्यायिक सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की पदावधि अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया जाता है।

(2) श्री कमल सिंह ठाकुर सदस्य के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाली पेंशन कम करके ऐसे वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे, जो उन्होंने सेवानिवृत्ति के समय उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य रूप में अन्त में प्राप्त किये थे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अचला आगवेकर, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

क्र. 3407-2117-15-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले के नाम	सामाजिक कार्यकर्ता का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सिंगरौली	सिंगरौली	1. श्रीमती विजय लक्ष्मी शुक्ला— सदस्य.

No. 3407-2117-15-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000), the State Government hereby constitute the following juvenile justice boards as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints social worker as specified in the column (4) respectively thereof for the

purpose of exercising of the powers and descharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the Districts	Name of the Honorary Social Worker
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Singrauli	Singrauli	1. Smt. Vijay Laxmi Shukla-Member.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. 3521-1783-15-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले के नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आगर-मालवा	आगर-मालवा	1. श्रीमती संगीता देसाई-सदस्य. 2. श्री महेश कुमार शर्मा-सदस्य.

No. 3521-1783-15-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000), the State Government hereby constitutes the following justice boards as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints social worker as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and descharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Social Worker
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Agar Malwa	Agar Malwa	1. Smt. Sangeeta Desai-Member. 2. Shri Mahesh Kumar Sharma-Member.

क्र. 3521-1783-15-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 29 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सदस्य को नियुक्त करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	बाल कल्याण समिति और उसका मुख्यालय	जिले के नाम	सदस्यों के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आगर-मालवा	आगर-मालवा	1. श्री प्रकाश चन्द्र फ़ारिया-अध्यक्ष. 2. श्री लक्ष्मी नारायण चौहान-सदस्य. 3. डॉ. मीना स्वर्णकार-सदस्य. 4. श्री अनिल खण्डेलवाल-सदस्य. 5. श्रीमती क्षमा गुप्ता-सदस्य.

No. 3521-1783-15-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000), the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints members as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and descharging the duties conferred on such Committee under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committee & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Members & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Agar Malwa	Agar Malwa	1. Shri Praksh Chandra Fafariya-Chair Person 2. Shri Laxmi Shankar Chouhan-Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
			3. Dr. Meena Swarnkar- Member				5. Smt. Kshama Gupta- Member.
			4. Shri Anil Khandelwal- Member		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी उड़के, सचिव.		

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गरोठ, दिनांक 14 अक्टूबर 2015

क्र. क्यू-री-1-भू-अर्जन-2015-प्र. क्र. 01-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—मंदसौर
- (ख) तहसील—शामगढ़
- (ग) ग्राम—टकरावद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.56 हेक्टर.

अनुसूची (2)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रस्तावित भूमि	
				सिंचित	असिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हीरालाल पिता नवल मीणा	230	0.82	0.14	0.00
2	वरदीलाल पिता मांगीलाल चमार	212 पै.	0.26	0.00	0.06
3	बंशीलाल पिता डालुराम चमार	212 पै.	0.33	0.00	0.06
4	मोहनलाल पिता बद्ध बलाई	232/2	0.35	0.00	0.08
5	रतनलाल पिता बद्ध बलाई	232/1	0.46	0.00	0.08
6	सम्पतकुंवर पति गोपालसिंह	235	0.40	0.07	0.00
7	सम्पतकुंवर पति गोपालसिंह	236	0.40	0.00	0.07
योग . . .			-	0.21	0.35

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टकरावद से देवरी हरिपरा पहुंच मार्ग योजना.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड, गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-14-15-प्र. क्र. 11-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. (1) में बोलिया से जैन दीवाकर (राजस्थान सीमा तक) मार्ग योजना में ग्राम बोलिया की भूमि मार्ग निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम बोलिया

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बोलिया	0.815	0.182	0.997
योग :		0.815	0.182	0.997

अनुसूची (2)

बोलिया से जैन दीवाकर (राजस्थान सीमा) तक पहुंच मार्ग

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम—बोलिया						
1	रामेश्वर पिता रामनारायण पाटीदार, निवासी बोलिया	560/2	0.425	0.000	0.112	0.112
2	प्रेमनारायण पिता सत्यनारायण, कृष्णाबाई बेवा सत्यनारायण पाटीदार.	560/1	0.425	0.012	0.000	0.012
3	शंकरलाल पिता रामलाल कुल्मी	500	0.862	0.012	0.000	0.012
4	भेरुलाल पिता गुलाब चमार	559/1	0.176	0.000	0.008	0.008
5	मोहनलाल व जगदीश प्रसाद पिता मांगीलाल ब्राहमण	502	0.053	0.000	0.004	0.004
		556	0.405	0.024	0.000	0.024
		503	0.202	0.010	0.000	0.010
6	प्रेमनारायण पिता सत्यनारायण कृष्णाबाई बेवा सत्यनारायण पाटीदार.	504	1.068	0.005	0.000	0.005
7	गिरधारी नन्दलाल कन्हैयालाल रामनिवास अशोक पिता केशरीलाल भंवरीबाई बेवा केशरीलाल सुतार.	509	1.327	0.102	0.000	0.102
8	जगदीश पिता नारायण ब्राहमण	554	0.971	0.010	0.000	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	प्रभुलाल पिता मांगीलाल बागरी	519पै.	0.617	0.005	0.000	0.005
		553/3	0.371	0.005	0.000	0.005
10	जुझार पिता मांगीलाल बागरी	519पै.	0.197	0.009	0.000	0.009
11	दोलीबाई पति जुझार बागरी	553/3पै.	0.370	0.009	0.000	0.009
12	नारायण पिता बालाराम माली	553/2	0.742	0.008	0.000	0.008
13	प्रकाशचन्द्र पिता रामकिशन तेली	553/1	0.742	0.008	0.000	0.008
14	रामसिंह गोपालसिंह तुफानसिंह गुमानसिंह मोतीसिंह पिता बापुलाल सो.रा.	521	0.595	0.025	0.000	0.025
15	बरदीबाई बेवा कन्हैयालाल कारुलाल रामगोपाल राजेन्द्र श्यामसुन्दर पिता कन्हैयालाल तेली.	550	0.833	0.013	0.000	0.013
16	कारुलाल पिता उकारं धापुबाई बेवा उकारं माली	522/1	0.850	0.012	0.000	0.012
17	राजमल पिता मोहनलाल माली	522/2	0.500	0.000	0.004	0.004
18	बरदीबाई बेवा कन्हैयालाल तेली	547	0.729	0.000	0.012	0.012
19	मोहनलाल पिता काना माली	544	2.023	0.018	0.000	0.018
20	मोहनलाल पिता काना कंकुबाई बेवा काना माली	535	0.109	0.008	0.000	0.008
21	राजमल पिता मोहनलाल माली	536/3 536/2पै.	0.809	0.000	0.010	0.010
22	केशरसिंह गोपालसिंह नरेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल सो.रा. निवासी दाताखेडा.	536/1	2.084	0.280	0.000	0.280
23	जगदीश पिता मोहनलाल माली	534पै.	1.400	0.150	0.000	0.150
24	लक्ष्मीनारायण अशोक कुमार नवल किशोर पिता मांगीलाल नाई.	564	0.049	0.020	0.000	0.020
		565	0.210	0.040	0.000	0.040
		582	0.308	0.030	0.000	0.030
		583	0.032	0.000	0.032	0.032
योग :			19.484	0.815	0.182	0.997

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-14-15-प्र. क्र. 12-अ-82-14-15.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में भानपुरा से छोटे बड़े महादेव मार्ग निर्माण योजना में ग्राम भानपुरा की भूमि मार्ग निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम—भानपुरा

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भानपुरा	0.993	0.562	1.555
योग :		0.993	0.562	1.555

अनुसूची (2)

भानपुरा से छोटे बड़े महादेव पहुंच मार्ग

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कैलाशचन्द्र अनिल कुमार जगदीशचन्द्र पिता भुवानीशंकर केशरबाई बेवा भुवानीशंकर बसंतीबाई बेवा प्रेमराज भुपेन्द्र कुमार जितेन्द्र कुमार शेलेन्द्र कुमार पिता प्रेमराज व माणकचंद, मोहनलाल, रामस्वरूप पिता केशरीलाल व धन्नीबाई बेवा केशरीलाल तम्बोली, निवासी भानपुरा.	944	0.684	0.000	0.065	0.065
2.	देवा पिता गांगा गुर्जर निवासी भानपुरा	943	0.016	0.000	0.008	0.008
3.	विमल कुमार पिता लखमीचंद प्रेमबाई शांतीबाई सीमाबाई पिता लखमीचंद तम्बोली, निवासी भानपुरा.	954/1	0.202	0.000	0.020	0.020
4.	जगदीश पिता बगदीराम गुर्जर, निवासी भानपुरा	954/2/1	0.101	0.000	0.015	0.015
5.	कैलाशीबाई पति बंशीलाल गुर्जर, निवासी भानपुरा	954/2/2	0.102	0.000	0.015	0.015
6.	शिवचंद पिता सावंतराम कोठारी, निवासी इंदौर	929	1.790	0.012	0.000	0.012
7.	लेखरामज पिता भेरूलाल तम्बोली, निवासी भानपुरा	922	0.138	0.003	0.000	0.003
8.	इन्द्राबाई पति लालचंद तम्बोली, निवासी भानपुरा	965	0.405	0.025	0.000	0.025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	घीसीबाई बेवा हेमराज गोर्धनलाल चिरोजीलाल लालचंद पिता हेमराज तम्बोली, निवासी भानपुरा.	966	0.308	0.020	0.000	0.020
10.	गोवर्धनलाल पिता किशनलाल तम्बोली, निवासी भानपुरा	981/2	0.069	0.000	0.025	0.025
11.	मधुबाई पति हीरालाल तम्बोली, निवासी भानपुरा	981/1	0.073	0.000	0.026	0.026
12.	घनश्याम राजेन्द्र कुमार चन्द्रकलाबाई, प्रेमराज ललीताबाई, मंजुबाई पिता मोहनलाल व पार्वतीबाई बेवा रामगोपाल, कैलाशचन्द्र, बाबुलाल, सुभाष कुमार पिता रामगोपाल व लक्ष्मीनारायण पिता मुकुन्दलाल के हिस्से की भूमि सर्वे नं. 864पै. रकबा 0.363 के भूमि स्वामी घनश्याम पिता मोहनलाल व गोविन्दराम उर्फ रघुनन्दन दत्तक पुत्र भगवान तम्बोली.	864/1पै.	0.996	0.200	0.000	0.200
13.	रमेश कुमार बोधराम पिता किशनलाल तम्बोली, निवासी भानपुरा.	838	0.146	0.060	0.000	0.060
14.	गोपाल प्रकाश चन्द्र पिता धुलजी व कोशल्याबाई बेवा मोडीराम राधेश्याम कमल कृष्ण किरण पिता मोडीराम रामचन्द्र पिता धुलजी तम्बोली, निवासी भानपुरा.	802	0.445	0.065	0.015	0.080
15.	जुगल किशोर पिता मांगीलाल तम्बोली, निवासी भानपुरा.	806/3/2	0.210	0.026	0.000	0.026
16.	यशवंत पिता कचरु व भंवरीबाई बेवा कचरु तम्बोली, निवासी भानपुरा.	806/3/1	0.605	0.054	0.000	0.054
17.	यशवंत पिता कचरु व तम्बोली निवासी भानपुरा	806/4	0.272	0.025	0.000	0.025
18.	मथुरालाल पिता रोड़जी तम्बोली, निवासी भानपुरा	806/2	0.272	0.008	0.012	0.020
19.	कंवरलाल पिता ओंकारलाल लक्ष्मीबाई बेवा ओंकारलाल, शांतिबाई बेवा मदनलाल बबली, ललिता पिता मदनलाल भीकू ना.बा. पिता मदनलाल अ. पालनकर्ता शांतिबाई बेवा मदनलाल, सोभागबाई, धापुबाई, भगवती, कान्ति लीला पिता ओंकारलाल तम्बोली, निवासी भानपुरा.	806/1	0.272	0.005	0.000	0.005
20.	मनोहरबाई बेवा हीरालाल बालचन्द्र, भागचन्द्र पिता हीरालाल तम्बोली, निवासी भानपुरा.	791	1.214	0.100	0.000	0.100
21.	सुन्दरबाई पति मोहनलाल तम्बोली, निवासी भानपुरा	776	1.364	0.000	0.100	0.100
22.	रामचन्द्र, मोहनलाल पिता पन्नालाल व रामस्वरुप, ओमप्रकाश पिता मदनलाल तम्बोली, निवासी भानपुरा.	789	0.121	0.020	0.000	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	रुकमणबाई बेवा गोपाल, धर्मेन्द्र कुमार, विनोद कुमार, निर्मला, पुनम पिता गोपाल, सोभागबाई, ताराबाई, शकुन्तलाबाई, मनोहरबाई पिता भंवरलाल, तम्बोली, निवासी भानपुरा.	784	0.521	0.090	0.000	0.090
24.	कुशीलाल पिता मोडीराम तम्बोली, निवासी भानपुरा	1019/3	0.769	0.000	0.050	0.050
25.	रूपाबाई बेवा कजोडीमल तम्बोली, निवासी भानपुरा	1017	0.170	0.000	0.030	0.030
26.	भुवानीशंकर पिता कंवरलाल तम्बोली, निवासी भानपुरा	1043/2	0.202	0.180	0.000	0.180
27.	भुवानीशंकर पिता कंवरलाल नानुराम पिता सेवा केशुराम पिता धुलजी, चन्द्रप्रकाश पिता वरदीचंद व भुवानीशंकर पिता कंवरलाल, रकबा 0.008 के भूमि स्वामी व सरदारमल पिता लालचंद भुवानीशंकर पिता कंवरलाल व सरदारमल के हिस्से की भूमि का रकबा 0.007 के भूमिस्वामी व भुवानीशंकर पिता कंवरलाल तम्बोली, निवासी भानपुरा.	1044	0.255	0.000	0.050	0.050
28.	माणकचंद पिता गुलाबचन्द्र महाजन, निवासी भानपुरा	1045	0.016	0.000	0.008	0.008
29.	सालगराम पिता बक्षु बसंतीबाई बेवा रोडमल, गंगाबाई पति मोहन व मांगीबाई पति मन्नालाल तम्बोली, निवासी भानपुरा.	1053	0.150	0.000	0.009	0.009
30.	गोपाल पिता मन्नालाल व श्यामबाई रूपाबाई पिता मन्नालाल तम्बोली, निवासी भानपुरा.	956/1	0.445	0.015	0.045	0.060
31.	किशोर संजय पिता मोहनलाल, गंगाबाई बेवा मोहनलाल, दुर्गाबाई, चन्द्रबाई पिता मोहनलाल तम्बोली, निवासी भानपुरा.	956/2	0.445	0.000	0.045	0.045
32.	कजोडीमल पिता भेरुलाल, तम्बोली निवासी भानपुरा	1058/2	0.008	0.000	0.004	0.004
33.	समस्त मालवीय प्रजापति समाज भानपुरा तर्फ अध्यक्ष, निवासी भानपुरा.	948	0.162	0.000	0.020	0.020
34.	माणकचन्द्र, बाबुलाल, केवलचंद, विमलकुमार पिता गुलाबचन्द्र, राजेन्द्र कुमार पिता बसंतिलाल महाजन, निवासी भानपुरा.	1103	0.101	0.085	0.000	0.085
योग :			13.049	0.993	0.562	1.555

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 8 नवम्बर/दिसम्बर 2015

क्र. 1994.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.न. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.न.
(1)	(2)
ग्राम भरदागढ़, प.ह.नं. 16 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 1371.372 हेक्टेयर.	ग्राम-बेलनीढाना, प.ह.नं.-16.

क्र. 1995.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.न. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.न.
(1)	(2)
ग्राम लहगडुआ, प.ह.नं. 23 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 321.924 हेक्टेयर.	ग्राम-चौखड़ाढाना, प.ह.नं.-23.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरभि गुप्ता, प्रभारी कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

प्र.क्र. 01-अ-82-2014-15.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

- परियोजना का नाम.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
- भूमि का विवरण.—ग्राम-भैरा जागीर, उप तहसील-बड़ागांव धसान, जिला टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—4.169 हेक्टेयर

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अशोक तनय सुकरत, शीला बाई बेवा सुकरत 1/4,	667/1/1	1.091	0.210
	कोमल तनय प्यारेलाल 1/8, मुन्नालाल तनय कोमल	662/3	1.546	0.800
	1/8 कमला तनय प्यारेलाल 1/8 हरिसिंह तनय कमला	655	0.243	0.008
	1/8, जगदीश तनय प्यारेलाल 1/4 जाति यादव पता	657	0.603	0.230
	नि. ग्राम भूमि स्वामी	657/1	0.117	0.117
		658/774	0.275	0.175

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	मनोहर तनय रामचरन जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	663/3 658	0.437 0.134	0.060 0.085
3	धन्दू तनय सेवदीन 1/6 भाग भूमि स्वामी मु. मुलिया पत्नि सुखलाल 1/2 भाग भूमि स्वामी पन्नालाल नारायणदास तनय रामचरन 1/6 हि. नाथूराम हेमचंद तनय रतीराम मु. हरबाई बेवा रतीराम 1/6 हि. जाति अहीर पता. नि. गरा भूमि स्वामी.	667/2	3.227	0.315
4	मनोहर, रमेश, सुरेश तनय रामचरन जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	666	0.348	0.175
5	नाथूराम तनय रामबगस जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	665/14 662/1	0.312 1.234	0.240 0.008
6	रमेश तनय रामचरन जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	662/2	1.546	0.115
7	रामलाल उमरऊवा तनय झलुवा, गनसी, परमी, लल्लाबाई पुत्री झलुआ भूमि स्वामी रगू तनय पंखुवा 1/3 भाग भूमि स्वामी गुन्चा मोहन किशोरी तनय भगुन्ता कनईया तनय मुलुवा मु. सरजू बेवा मुलुवा जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी.	650 648 649/732 649/733	0.081 2.270 0.906 0.061	0.020 0.480 0.160 0.061
8	मल्दीबाई पुत्री गलैया 1/3 भाग भूमि स्वामी सुखदीन बारेलाल तनय छनदी हरबू पुत्री छनदी जम्बूबाई बेवा छनदी 1/3 भाग भूमि स्वामी भन्ता तनय परमा जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी.	646/ब 646/अ	0.757 1.404	0.440 0.035
9	सुनू अजुद्धी तनय नदुवा मु. सरजू बेवा नथुवा 1/4 हि. नदुवा हरचरन गोरेलाल तनय बाबू 1/4 हि. जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भन्ता तनय परमा जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी.	648/726 648/727	0.466 0.069	0.410 0.025
योग . .			17.681	4.169

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण-टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभागीय टीकमगढ़ में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 02-अ-82-2014-15.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

1. परियोजना का नाम.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

2. भूमि का विवरण.—ग्राम-सुजारा जागीर, उप तहसील-बड़ागांव धसान, जिला टीकमगढ़

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—3.238 हेक्टेयर

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कन्नू पिता दुर्जन हि. 1/3 जगदीश झालम तनय सरिया गदूला त. छत्ता हि. 1/3 पता नि. ग्राम भूमि स्वामी करिया त. गुन्डा फुलिया चिन्जी भगुन्ती पुत्री गुन्डा हि. 1/3 जाति अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	472	0.024	0.002
2	वारेलाल तनय चिन्टोला, खज्जू पुत्री चिन्टोला जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	477 484 618	0.138 0.109 0.178	0.138 0.050 0.016
3	बैजनाथ पिता धरमा हि. 1/2 दयाल अर्जना हि. 1/8 नन्नेलाल पिता पल्लू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	486 487	0.069 0.287	0.065 0.180
4	काशीराम तनय भगुन्ता जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	488/2 493/2 491/2 492/2 494/2 617/2 495/2	0.066 0.054 0.104 0.016 0.077 0.410 0.055	0.660 0.054 0.104 0.016 0.030 0.230 0.055
5	धन्सू पिता गुन्वा जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी देवी शोभा राजाराम त. मोहन सुमंत्रा लाडवाई पुत्री मोहन मु. लड्डू बेवा मोहन जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी.	489	0.267	0.140
6	भागवती शान्तीबाई मानकुंवर पुत्री जानकी हि. बरा. 1/3 सियारानी बेवा राजाराम, संतोष रमेश बृजेश तनय राजाराम दीपा पुत्री राजाराम, रामप्यारी भूमि स्वामी. रामनाथ पुत्र किशोरी शोभाराम तनय रामनाथ त. मल्लू जाति ब्रा. पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	616	1.129	0.700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	ललती पुत्री लक्ष्मण जाति लोधी भूमि	601	0.073	0.073
	स्वामी प्यारेलाल त. सोना सुरेन्द्र त. मुन्नु	615	0.275	0.075
	ना. बा. माता मु. द्रोपती बेवा मुन्नु हल्काई	600	0.628	0.100
	तनय धर्मा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	602	0.113	0.075
		609	0.214	0.150
		611	0.587	0.260
		614	0.045	0.008
8	हीरा मथरा अनंतराम मनमोहन तनय	603	0.166	0.120
	भइयन जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि.	604	0.117	0.095
	9/10 भाग भूमि स्वामी रज्जी बेवा भइयन	605	0.158	0.055
	जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 1/10	606	0.275	0.240
	भाग भूमि स्वामी	610	0.105	0.105
9	लाल्ले पिता कलुआरधिया वि. कलुआ	476	0.154	0.016
	जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	485	0.020	0.020
योग . .			5.913	3.238

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण-टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभागीय टीकमगढ़ में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 09-अ-82-2014-15.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

1. परियोजना का नाम.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

2. भूमि का विवरण.—ग्राम-कुनैता जागीर, तहसील-बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—6.412 हेक्टेयर

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	घनेन्द्रसिंह तनय बल्देवसिंह जाति ठाकुर पता नि. लमेरा भूमि स्वामी द्रगपालसिंह तनय प्रतापसिंह जाति ठाकुर पता नि. लमेरा बरा. भाग भूमि स्वामी.	109	2.922	1.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	दुग्गपालसिंह, महिपालसिंह तनय प्रतापसिंह जाति ठाकुर पता नि. लमेरा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी घनेन्द्रसिंह तनय बल्देवसिंह जाति ठाकुर पता नि. लमेरा 1/2 भाग भूमि स्वामी.	131	0.016	0.010
3	हरिचरन तनय लक्ष्मन जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	132/1	0.249	0.010
4	टुन्डी बेनीबाई पुत्री जगना जाति चमार पता नि. लमेरा 3/32 भाग भूमि स्वामी टुण्डी पुत्री जगना जाति चमार पता नि. लमेरा 1/32 भाग भूमि स्वामी हरजन किलकोटी, जालू तनय नन्ना जाति चमार पता नि. लमेरा भूमि स्वामी धर्मी बेवा नन्ना जाति चमार पता नि. लमेरा 1/8 भाग भूमि स्वामी कलुवा तनय पिटुवा जाति चमार पता नि. लमेरा 3/8 भाग भूमि स्वामी धुरा रामा तनय कड़ोरा जाति चमार पता नि. लमेरा 1/4 भाग भूमि स्वामी संतोष पवन तनय परमा गुड्डी जशौदा पुत्री परमा जमना बाई बेवा परमा जाति नाई पता नि. लमेरा 1/8 भाग भूमि स्वामी.	140 142 136	1.785 0.409 0.470	0.860 0.045 0.006
5	टुन्डी बैनीबाई पुत्री जगना जाति चमार पता नि. लमेरा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी मु. फूलाबाई बेवा खंजुवा पत्तू गुवन्दी वक्सी तनय खंजुवा जाति चमार पता नि. लमेरा 1/2 भाग भूमि स्वामी.	139 137 144 141	0.409 0.299 0.478 0.462	0.365 0.140 0.070 0.400
6	टुन्डी बेनीबाई पुत्री जगना जाति चमार पता नि. लमेरा भूमि स्वामी मु. धर्मी बेवा नन्ना जाति चमार पता नि. लमेरा भूमि स्वामी हरजन किलकोटी, जल्लू तनय नन्ना जाति चमार पता नि. लमेरा भूमि स्वामी कलुवा तनय पिटुवा जाति चमार पता नि. लमेरा भूमि स्वामी टुण्डी पुत्री जगना जाति चमार पता नि. लमेरा 1/48 भाग भूमि स्वामी रामा, धुरा तनय कड़ोरा जाति चमार पता नि. लमेरा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी.	138 143	0.425 0.372	0.260 0.342
7.	मु. धर्मी बेवा नन्ना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी किलकोटी, हरजन जालू तनय नन्ना जाति चमार पता नि. ग्राम हि. बराबर भाग भूमि स्वामी	173 172 176	0.312 0.170 0.032	0.240 0.170 0.012
8	मु. जमनाबाई बेवा नंदा चन्द्रभान मूलचंद्र बन्दू तनय नंदा जाति बाढ़ई पता नि. ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी हल्का तनय कलुवा जाति बाढ़ई पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी कूरा तनय तिलइया जाति बाढ़ई पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.44	161	2.383	0.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	आशाराम तनय बारेलाल जाति अहीर पता नि. लमेरा भूमि स्वामी	168	0.490	0.360
		167	0.680	0.475
		163	0.227	0.110
		162	0.413	0.004
		164	0.425	0.361
		166	0.174	0.174
		165	0.547	0.015
		170	0.170	0.125
		171	0.458	0.210
10	हरजन तनय नन्ना जाति चमार पता नि. लमेरा भूमि स्वामी	174	0.182	0.095
		175	0.150	0.102
11	लक्ष्मण हल्के विन्द्रावन तनय अयोध्या जाति अहीर पता नि. कुनैता बराबर भाग भूमि स्वामी	200	1.267	0.020
		योग . .	16.243	6.412

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण-टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 10-अ-82-2014-15.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

1. परियोजना का नाम.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

2. भूमि का विवरण.—ग्राम-लमेरा जागीर, तहसील-बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—10.394 हेक्टेयर

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लक्ष्मीचंद खेमचंद गोविन्दास तनय नबल जाति जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.90	854	1.011	0.940
2	पत्तू तनय मुच्चा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00	844	1.051	0.851

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	तिज्जू अधरा, चन्नू तनय धनुवां जाति चमार पतां नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.12	845 688	0.097 0.328	0.060 0.101
4	हरलाल मोनलाल शेवलाल तनय लम्पुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.19	846 849	0.652 0.462	0.522 0.330
5	हरलाल तनय लम्पुआ जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.96	847 848	0.388 0.109	0.256 0.109
6	विहारी पि. भैयालाल जाति काछी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.12	850	1.161	0.595
7	अडकन पिता पुन्ना भूमि स्वामी मु. हरवाई बेवा पुन्ना भूमि स्वामी तुलसी, लछू तनय हल्कू जाति काछी पता नि. ग्राम बराबर भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.94	733 734 735 731 730	0.522 0.146 0.906 0.324 0.551	0.265 0.050 0.350 0.130 0.525
8	उदेता तनय मुलुवा जाति काछी पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी भगवानदास स्वामी पपली तनय हल्काई मीरा पुत्री हल्काई खेराबाई बेवा हल्काई जाति काछी पता नि. ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी नन्ने भैया गनपत पि. दुर्जा जाति काछी पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.37	718 717 716 709	0.757 0.445 0.393 0.619	0.270 0.400 0.160 0.004
9	कम्मोदा पि. कुदू जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.50	715 683 684 687	1.906 3.286 0.518 0.591	0.950 0.620 0.145 0.355
10	खलका पि. झडुवा जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी शिबुआ गनपत गोरे रमुवा तनय नन्नइया मु. गुनिया बेवा नन्नइया जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.25	688ब 688क 688द 207 208	0.680 0.553 0.959 0.178 0.089	0.270 0.165 0.390 0.055 0.042
11	मु. प्यारबाई बेवा बल्ला कलिया नन्नी मौरिया मल्दीशीला पुत्री बल्ला जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी रामसहाय रवि तनय गोकल जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी चउदा रामदीन रगवर पि. नन्नू जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.25	214/1	1.223	0.209
12	खरगा पिता गरीबा मु. सुक्कू बेवा गरीवा काली तनय धांधू जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी कमला कोमल तेजराम तनय भूरा बैनीबाई पुत्री भूरा जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी सक्कू पुत्री नन्नू बलू तनय छक्की जशोदा पुत्री छक्की जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी किशोरी फुन्दी तनय मलुका मानबाई बेवा मलुका श्यामबाई पुत्री मलुका जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.31	214/2	1.226	0.209

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	खुमना कल्लू रामदयाल गोकल तनय ननुवा रवि तनय किशोरी मथराबाई बेवा किशोरी जाति सौर पता नि. ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी मुलुवा तनय वंशिया हि. 1/2 जाति सौर पता निवासी लमेरा भूमि स्वामी मोहनलाल हरिराम तनय लटोरा जाति सौर पता नि. ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.44	199	0.878	0.055
14	खुमना कल्लू रामदयाल गोकल तनय ननुवा रवि तनय किशोरी मथराबाई बेवा किशोरी जाति सौर पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी मोहनलाल हरिराम तनय लटोरा जाति सौर पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.92	200/1 193/1 194/1 196/1 195/1	0.466 0.128 0.486 0.309 0.057	0.200 0.040 0.190 0.006 0.028
15	मुलुवा तनय वंशिया जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.80	200/2 193/2 194/2 195/2	0.400 0.127 0.485 0.056	0.200 0.040 0.190 0.027
	योग		25.098	10.394

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण-टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा नहर परियोजना बल्देवगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 10-अ-82-2014-15.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

1. परियोजना का नाम.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

2. भूमि का विवरण.—ग्राम-खौडेला, तहसील-बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—3.933 हेक्टेयर

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कूरा कल्लू भट्टरू सुकनी तनय मुलुवा बड़ी बेन सुकवती पुत्री मुलुवा जाति ढीमर पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी लम्पुआ पुत्र अजुध्या जाति ढीमर पता नि. ग्राम 1/2 भाग स्वामी.	119 116	0.146 0.179	0.005 0.110

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	मलखान सिंह कृपालसिंह दृगपालसिंह, पुत्रगण तखतसिंह जाति ठाकुर पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी नरेन्द्र सिंह तनय हीरासिंह जाति ठाकुर पता नि. ग्राम 1/2 भूमि स्वामी.	51 121	0.028 0.234	0.028 0.234
3	मलखान सिंह कृपालसिंह दृगपालसिंह पुत्रगण तखतसिंह जाति ठाकुर पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.	40	0.069	0.069
4	मोतीलाल पूरनलाल देवकीनंदन पुत्रगण भैयालाल जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.	48	0.214	0.090
5	रम्बू पत्नि गौंठा जाति चमार पता नि. भूमि ग्राम स्वामी	123	0.644	0.480
6	फेरन सिंह तनय हिम्मत सिंह जाति ठाकुर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	111	0.275	0.004
7	श्रीमति फूलाबाई पत्नि भगवानदास जाति कुम्हार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी अभिषेक ना. बा. स. पिता रामदीन मुस्कान ना.बा.स. पुत्री रामदीन सर. पिता रामदीन जाति कुम्हार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी.	43	0.210	0.080
8	प्यारेलाल हल्काई दुर्गा परमा पुत्रगण रमसीगां जाति ढीमर पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.	112 35 36	0.125 0.146 0.304	0.085 0.039 0.160
9	कुंजी कूरा हरलाल पुन्ना पुत्रगण मन्सुका पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.	120	0.267	0.267
10	मधवा तनय मकुन्दा बन्दु कारेलाल तातू पुत्रगण जगना जाति ढीमर पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी नन्दलाल तनय विजुआ जाति ढीमर पता नि. 1/2 भाग भूमि स्वामी.	117	0.081	0.040
11	नरेन्द्र सिंह तनय हीरासिंह जाति ठाकुर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	90 52	0.194 0.223	0.006 0.010
12	राजपाल सिंह तनय नरेन्द्र सिंह मु. बृजेश राजा बेवा धर्मपाल सिंह जाति ठाकुर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	91	0.466	0.015
13	स्वामी मुन्नी पुत्रगण किशोरा जाति चमार पता नि. ग्राम समान भूमि भाग स्वामी.	127	0.640	0.380
14	ग्यानी रामसहाय तनय बृजलाल जयराम तनय भूरे जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	132	1.234	0.060
15	बंशिया तिजुआ हल्के अट्टू भज्जू दिररू पुत्रगण गौठा जाति चमार पता नि. ग्राम समान भाग.	118	2.395	0.100
16	नथुवा हरचरन गोरेलाल पुत्रगण बाबूलाल पता नि. भैरा 2/3 समान भाग भूमि स्वामी सुन्नू अजुददी पुत्रगण नंदुवा पता निवासी भैरा 1/3 समान भाग भूमि स्वामी.	130 129 126	0.380 0.530 0.522	0.120 0.008 0.460
17	कृपाल सिंह दृगपाल सिंह पुत्रगण तखतसिंह जाति ठाकुर पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.	44	0.587	0.180
18	धनुवा पुत्र कडोरा जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	50	0.032	0.007
19	नन्नु तनय लम्पुवा स्वामी मुन्नी तनय किशोरा जाति चमार पता नि. ग्राम कल्लू रति पुत्रियां लम्पुवा जाति चमार पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.69	125 124	1.181 0.466	0.130 0.215

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	घनश्याम तनय अर्जना जाति बसौर पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भगवानदास तनय रगवर अर्जना तनय सुम्मा जाति चमार पता नि. एरोरा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी.	38 28	0.214 0.429	0.130 0.020
21	देशराज तनय वल्लुवा जाति लुहार पता नि. ग्राम स्वामी	41 42	0.081 0.020	0.081 0.020
22	विजुवा पुत्र कन्हैया जाति बसौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	39	0.235	0.200
23	परमा पुत्र हल्का उर्फ खुल्ला जाति काछी, नि. ग्राम भूमि स्वामी	114	0.247	0.100
			योग . . 12.998	3.933

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा परियोजना नहर, जल संसाधन संभाग बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 10-अ-82-2014-15.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

1. परियोजना का नाम.—बानसुजारा, परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

2. भूमि का विवरण.—ग्राम-कुलगुवां, तहसील-बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—3.756 हेक्टेयर

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुन्नालाल रतिराम तनय सरजू मु. नन्नीबाई बेबा सरजू जाति काछी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी कमलापत रामप्रसाद तनय अटुवा रामबाई पुत्री अटुवा मु. हरबू बेबा अटुवा जाति काछी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	24 24/1 22	0.125 0.405 0.206	0.008 0.145 0.014
2	अर्जना लछुवा पिता झडुवां जाति काछी पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भूरा पिता नथुवा जाति काछी पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी टन्टी उर्फ घन्सू तनय सुनका जाति काछी पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी.	18 19 17	0.902 0.097 0.287	0.810 0.070 0.080

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	भग्गू मुलुवा, तिजुवा तनय मोनलाल मु. बन्दरी बेबा मोनलाल मुखिया हिरा सुक्का लल्लु बिटऊ तनय मोहना जाति काछी पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी गनेश बहादुर पिता बुद्धा जाति काछी पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.50	8	1.165	0.240
4	गनेश बहादुर पिता बुद्धा जाति काछी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मुखिया हिरा सुक्का लल्लु बिटऊ तनय मोहना जाति काछी पता नि. ग्राम भू-स्वामी भग्गू मुलुवा तिजुवा तनय मोनलाल मु. बन्दरी बेबा मोनलाल जाति काछी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	13	0.866	0.600
5	मु. लल्लाबाई बेबा लोटा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.25	37 38	0.117 0.113	0.100 0.025
6	मु. लल्लाबाई बेबा लोटा ऊदल काशीराम रामचरन तनय लोटा जाति चमार पता नि. ग्राम भू-स्वामी.	10	0.368	0.260
7	माधव महेन्द्र पिता राजाराम 1/12 हि. हरचरन देवी तनय. बारेलाल हिस्सा 2/12 भूमि स्वामी मु. सरी वेवा हनू वृजलाल भगवान दास अच्छे लाल हल्के तनय हनू यादव हिस्सा 1/4 बराबर भूमि स्वामी बाबूलाल तनय प्यारे 1/4 हि. दयाराम तनय सुकई 1/4 हि. जाति यादव पता नि. ग्राम भू-स्वामी भू-राजस्व 1.25.	11 42 12 36	0.676 0.388 0.454 0.372	0.310 0.010 0.220 0.045
8	रतीराम तनय विन्द्रावन अर्जुन हरीराम तनय शिवचरन जाति यादव, पता नि. ग्राम 2/3 समान भाग भूमि स्वामी गोकल धूराम तनय टूडे जाति यादव पता नि. ग्राम 1/3 हिस्सा भाग भूमि स्वामी.	42/ब 51 48 44	0.206 0.372 0.121 0.413	0.190 0.120 0.115 0.210
9	भुलुवा छुट्टी तनय गजाधर हि. 1/3 रतीराम तनय विन्द्रावन हि. 1/12 शिवचरण संदीप तनय हरीराम हिस्सा 1/12 जाति यादव पता नि. ग्राम भू स्वामी मु. देवरान बाई वेवा अर्जुन रामप्रसाद रतिराम भागीरथ तनय अर्जुन 1/6 जाति यादव पता नि. ग्राम भू स्वामी शिवचरण रतिराम विन्द्रावन जाति यादव पता नि. ग्राम 1/3 हिस्सा भाग भू स्वामी.	47/श	0.466	0.085
10	मन्जू पिता कूरा भूमि स्वामी मु. हरबाई बेबा कूरा जाति सौर 1/2 भाग भू स्वामी प्रेमवाई उर्फ भुगला पति गणेश संगु पति अमना जाति सौर पता नि. ग्राम 1/2 भू स्वामी.	50 50/क	0.049 0.069	0.049 0.050
योग . . .			8.236	3.756

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण—टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा नहर परियोजना बल्देवगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. 3049.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची के स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील सिरोंज, जिला विदिशा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

क्र.	स्तंभ (1) भू-भाग का विवरण			स्तंभ (2) राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर	
	मूल ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	पृथक् किया गया क्षेत्रफल (4)	राजस्व ग्राम का नाम (5)	पटवारी हल्का नम्बर (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चाठौली	42	197.377	हबीबगंज	42

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 10 सितम्बर 2015

क्र. 8796-वित्त-1-2015.—इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है. शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार रहेगा.

1. श्री सुनील दुबे, अतिरिक्त कलेक्टर/अति. जिला दण्डाधिकारी :

(क) राजस्व—

1. म. प्र. भू-रा.सं., 1959 के अन्तर्गत सिवनी जिले के सभी अनुभाग के अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण
2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा अंतरित अन्य प्रकरण
3. म. प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अन्तर्गत अपर कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण
4. कोर्ट फीस स्टाम्प चस्प्या की गई राशि की वापसी के समस्त प्रकरण
5. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत प्रकरण
6. मध्यप्रदेश पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के अन्तर्गत प्रकरण
7. मध्यप्रदेश भू-राजस्व 1959 की धारा 240, 241 के प्रकरण
8. गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम दर्ज कराने/काटने से संबंधित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय अपील के प्रकरण

(ख) विविध—

1. विशेष विवाह अधिनियम/हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अधिकारी
2. भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी
3. प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा/खाद्य शाखा/लायसेंस शाखा (गन लायसेंस का नवीनीकरण)
4. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन
5. लोकसभा/राज्यसभा/विधान सभा प्रश्नों के लिए नोडल अधिकारी
6. माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण से संबंधित तैयारियों के लिए नोडल अधिकारी
7. सभी अधिकारियों की दौरा डायरियों के अनुमोदन
8. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि, अवकाश स्वीकृत करना

9. सभी तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्रमोन्नति, पदोन्नति, समयमान वेतनमान प्रदाय संबंधी कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी
 10. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य
2. श्री व्ही. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी, सिवनी :
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी (सिवनी तहसील)
 2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम (सिवनी तहसील)
 3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी (सिवनी तहसील)
 4. भू-अर्जन अधिकारी (सिवनी तहसील)
 5. रजिस्टार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र (सिवनी तहसील)

प्रभारी अधिकारी—

1. जिला सत्कार अधिकारी, जिला सिवनी
 2. नजूल शाखा
 3. नाजरात शाखा
 4. वरिष्ठ लिपिक शाखा
 5. प्रस्तुतकार, राजस्व मोहर्रर (कलेक्टर न्यायालय)
 6. प्रपत्र एवं लेखन सामग्री शाखा तथा प्रेषक एवं मुद्रण शाखा
 7. प्रभारी परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, सिवनी
 8. राज्य परिवहन निगम के बस स्टैण्ड की समस्त व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी
 9. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य
4. श्री आई. जे. खलखो, अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी, बरघाट :
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बरघाट
 2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम, बरघाट
 3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, बरघाट
 4. भू-अर्जन अधिकारी, बरघाट
 5. रजिस्टार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र, बरघाट

प्रभारी अधिकारी—

1. मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा
 2. आंग्ल एवं राजस्व अभिलेखागार
 3. सहायक अधीक्षक, सामान्य/राजस्व शाखा
 4. समाधान आन लाइन/जनसुनवाई प्रकोष्ठ
 5. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/शिकायत/जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ
 6. मान. मंत्री, सांसद, विधायकगणों/लोकायुक्त संगठन/मानव अधिकार आयोग/अन्य आयोगों से प्राप्त पत्रों का निराकरण
 7. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य
5. श्री के. सी. परते, अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी, सिवनी ग्रामीण :
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (कुरई तहसील)
 2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम (कुरई तहसील)
 3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी (कुरई तहसील)
 4. भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी ग्रामीण (कुरई तहसील)
 5. रजिस्टार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र (कुरई तहसील)

प्रभारी अधिकारी—

1. सहायक सत्कार अधिकारी, सिवनी
 2. भू- अभिलेख/वन राजस्व भूमि सीमा विवाद तथा जनगणना शाखा
 3. अधिक अन्य उपजाओं शाखा/सिविल सूट
 4. राजस्व लेखापाल शाखा/राहत शाखा
 5. जिला जेल/नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड/सांख्यिकी शाखा
 6. वित्त स्थापना
 7. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य
6. श्री राकेश मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी, केवलारी :
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, केवलारी
 2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र, केवलारी
 3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम, केवलारी
 4. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, केवलारी
 5. भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी

प्रभारी अधिकारी—

1. सूचना के अधिकार एवं लोक सूचना अधिकारी एवं सिटीजन चार्टर
2. कर्मचारी कल्याण/अल्प बचत शाखा/आडिट शाखा
3. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	प्रथम लिंक आफीसर (3)	द्वितीय लिंक आफीसर (4)
1	श्री सुनील दुबे	श्री व्ही. पी. द्विवेदी	श्री आई. जे. खलको
2	श्री व्ही. पी. द्विवेदी	श्री के. सी. परते	श्री आई. जे. खलको
3	श्री आई. जे. खलको	श्री व्ही. पी. द्विवेदी	श्री के. सी. परते
4	श्री के. सी. परते	श्री व्ही. पी. द्विवेदी	श्री आई. जे. खलको

नोट.—

1. प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी.
 2. सर्व अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी वन व्यवस्थापन तथा वन राजस्व सीमा विवाद से संबंधित प्रकरण तैयार कर निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रेषित करेंगे.
 - 2.1 सिवनी, कुरई, केवलारी एवं बरघाट के लिए अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी
 - 2.2 लखनादौन, धनोरा, घंसौर एवं छपारा के लिए अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन
 3. समाधान ऑन लाइन हेतु प्राप्त शिकायतें सीधे कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी.
- यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, निर्वाचन पदाधिकारी एवं रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा
यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

निर्वाचन संबंधी सूचना

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 के अन्तर्गत बनाये गये संशोधित निर्वाचन नियम, 1991 की धारा 8(4) के पालन में सूचना प्रकाशित की जा रही है कि बोर्ड के निर्वाचन में खड़े होने वाले उम्मीदवारों द्वारा अपने नाम उम्मीदवारी से वापिस ले लिये गये हैं उनकी जानकारी निम्नानुसार दी जा रही है :-

01. ग्वालियर संभाग

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पता
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. राजेश कुमार पाराशर	लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास, सुरेश नगर, थाटीपुर, मुरार ग्वालियर, म.प्र.

02. उज्जैन संभाग

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पता
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. गिरीश उथरा	100, तिलक पथ, महिदपुर, जिला उज्जैन, म.प्र.

03. जबलपुर संभाग

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पता
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. राजेन्द्र कुमार गुप्ता	ए/32, साहेब टाउनशिप, रेत नाका, ग्वारीघाट, जबलपुर, म.प्र.
2.	डॉ. पंकज मिश्रा	विग डी 6, फ्लेट नं. 05, द्वितीय तल, आइडियल हिल्स, नर्मदा रोड, जबलपुर, म.प्र.

04. रीवा संभाग

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पता
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. सुरेन्द्र पटेल	मु. पो. जमुई खुर्द, तह. त्योंथर, जिला-रीवा, म.प्र.

एस. सी. खाम्बरा, निर्वाचन पदाधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

निर्वाचन संबंधी सूचना

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 के अन्तर्गत बनाये गये संशोधित निर्वाचन नियम, 1991 की धारा 8(2) के पालन में सूचना प्रकाशित की जा रही है कि अभ्यर्थियों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापिस लेने के पश्चात् शेष रहे निर्वाचन में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की जानकारी निम्नानुसार दी जा रही है :—

01. चम्बल संभाग

स.क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. रणवीर सिंह परिहार	द्वारा श्री नरोत्तम सिंह परिहार, जन्तु बाबा की बगिया लहार चुंगी, भिण्ड, म.प्र.
2.	डॉ. रामनारायण शर्मा	शर्मा एक्स-रे क्लीनिक, जौरा, अलापुर, जिला-मुरैना, म.प्र.
3.	डॉ. अनिल यादव	वार्ड क्र. 14, पशु चिकित्सालय के पास मौ. (लौहरपुरा), जिला भिण्ड, म.प्र.

02. ग्वालियर संभाग

स. क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. चन्द्रप्रकाश शर्मा (निर्विरोध निर्वाचित)	द्वारा स्वास्तिक हास्पिटल एवं आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, महलगांव, सीटी सेंटर, ग्वालियर, म.प्र.

03. उज्जैन संभाग

स. क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. ओम प्रकाश शर्मा (निर्विरोध निर्वाचित)	एफ-2/20, शक्ति नगर, राजस्व कालोनी, उज्जैन, म.प्र.

04. इन्दौर संभाग

स. क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. सूरज खोदरे	140/7, नन्दा नगर, इंदौर, म.प्र.
2.	डॉ. गोपाल कृष्ण धाकड़	द्वारा श्री कैलाश नागर, 16/1, ऊषा नगर, मेन अन्नपूर्णा रोड, इंदौर, म.प्र.

(1)	(2)	(3)
3.	डॉ. दिनेश कुमार लौवंशी	22/2, लवकुश नगर, खण्डवा, म.प्र.
4.	डॉ. मो. सईद सिद्दीकी	ग्रा. पो. बहादरपुर, जिला-बुरहानपुर, म.प्र.
5.	डॉ. शिवदयाल बर्डे	बी. 36, नारायण दास कालोनी, बिस्टान रोड, जिला-खरगोन, म.प्र.
6.	डॉ. राजकिशोर बाजपेयी	76, संबिद नगर, कनाडिया रोड, आरोग्य कुंज, इंदौर, म.प्र.

05. भोपाल संभाग

स. क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. ह. सैयद हयाज अली	ताहा हाउस सैफिया कॉलेज का गेट नं. 1, एहमदाबाद कोहेफिजा, भोपाल, म.प्र.
2.	डॉ. रामनारायण सिंह	एम.आई.जी. 1, ब्लॉक नं. 7, सरस्वती नगर, भोपाल, म.प्र.
3.	डॉ. राम प्रताप सिंह राजपूत	वैशाली नगर, कोर्ट के पीछे, सीहोर, म.प्र.
4.	डॉ. रतन सिंह	एफ-63, नेहरू नगर, भोपाल, म.प्र.
5.	डॉ. अरविन्द कुमार चौबे	डी 1/9, दानिश नगर, मिसरोद, भोपाल, म.प्र.
6.	डॉ. राहुल शर्मा	म.नं. 353, अंबेडकर नगर, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल, म.प्र.

06. नर्मदापुरम संभाग

स. क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. ज्ञानेश्वर झरबड़े	ग्रा. गुनखेड़ पो. + तहसील आठनेर, जिला-बैतूल, म.प्र.
2.	डॉ. आकाश डेविड	मिशन खेडा, इटारसी, जिला-होशंगाबाद, म.प्र.
3.	डॉ. अमित रघुवंशी	कुसुम महाविद्यालय के सामने, बनापुरा, सिवनी मालवा, जिला-होशंगाबाद, म.प्र.

07. सागर संभाग

स. क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. विशाल जैन	1/107, पुरानी गल्ला मण्डी रोड, कटरा वार्ड, जिला-सागर, म.प्र.
2.	डॉ. गजेन्द्र प्रताप सिंह	5/723, खमरिया रहली, जिला-सागर, म.प्र.

08. जबलपुर संभाग

स. क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. मदन गोपाल गोस्वामी	पुराना, 846, नया 592, महात्मा गांधी वार्ड, अन्नपूर्णा मंदिर, निवाड़गंज, जबलपुर, म.प्र.
2.	डॉ. लुट्टन लाल अहिरवाल	हाउस नं. 599/1, गुप्तेश्वर वार्ड, जबलपुर, म.प्र.
3.	डॉ. अंकित असाठी	म.नं. 01, वार्ड नं. 20, गांधी चौक, मेन रोड, बालाघाट, म.प्र.
4.	डॉ. बृजेश कुमार	मं.नं. 1563, उदय नगर, 1 न्यू शोभापुर, व्हीकल स्टेट, जबलपुर, म.प्र.

09. रीवा संभाग

स. क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. रामविलास सोहगौरा	14/487, अल्प आय वर्ग सोसायटी के पास, नेहरू नगर, रीवा, म.प्र.
2.	डॉ. हरी प्रकाश शर्मा	ग्राम-गोड़हर (रेल्वे स्टेशन के पास), पोस्ट-रीवा, तह.+जिला-रीवा, म.प्र.-486001.

10. शहडोल संभाग

स. क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. ओम प्रकाश शर्मा	ऑफीसर्स क्लब के पीछे, चर्चार्ड, जिला अनूपपुर, म.प्र.
2.	डॉ. वेदप्रकाश गुप्ता	ग्रा. पो. चोलना वाया वेंकट नगर, अनूपपुर, म.प्र.

एस. सी. खाम्बरा, निर्वाचन पदाधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 23 नवम्बर 2015

प्र. क्र. 030-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	गुनौर	निवहरी	निजी भूमि रकबा 0.963 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 0.963 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 011-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	अजयगढ़	सिमराखुर्द	निजी भूमि रकबा 1.688 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.388 है. <u>कुल रकबा 2.076 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बहादुरगंज तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 012-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	अजयगढ़	धवारी	निजी भूमि रकबा 3.638 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.113 है. <u>कुल रकबा 4.751 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बहादुरगंज तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 013-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	अजयगढ़	अजयगढ़	निजी भूमि रकबा 10.390 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.598 है. <u>कुल रकबा 12.988 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बहादुरगंज तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 014-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना

दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सिन्हाई	निजी भूमि रकबा 3.513 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.350 है. <u>कुल रकबा 3.863 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बहादुरगंज तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 015-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	इटवांकला	निजी भूमि रकबा 9.304 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 9.304 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	डोभा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 016-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	अहिरगवां	निजी भूमि रकबा 2.508 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.080 है. <u>कुल रकबा 2.588 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बिलखुरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 017-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	उड़की	निजी भूमि रकबा 1.103 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.275 है. <hr/> कुल रकबा 1.378 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बिलखुरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 018-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	बिलखुरा	निजी भूमि रकबा 5.705 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.561 है. <hr/> कुल रकबा 6.266 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बिलखुरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 022-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	जनकपुर	निजी भूमि रकबा 1.425 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <hr/> कुल रकबा 1.425 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जनकपुर तालाब योजना अन्तर्गत (छूटे हुए रकबे) बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 027-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	मेहगुवांखुर्द	निजी भूमि रकबा 2.206 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.150 है. <hr/> कुल रकबा 2.356 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जसवंतपुरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. -10-पत्र क्र. 288-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में)लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) मैहर	(3) हिनौता	(4) 2.053	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.)	(6) अधियारी सागर बांध डायवर्सन चैनल निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. -10-पत्र क्र. 289-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) मैहर	(3) टीकर	(4) 0.607	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.)	(6) अधियारी सागर बांध डायवर्सन चैनल निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 16 दिसम्बर 2015

क्र. 11856-जि. भू. अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-1	कोहका ब. नं. 82 प.ह.नं. 119	0.93	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 6एल, 7एल माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 11857-जि. भू. अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-1	पिण्डरई ब. नं. 365 प.ह.नं. 126	1.74	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 20एल माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 11858-जि. भू. अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. भाग-1	परतापुर ब. नं. 320 प.ह.नं. 115	0.08	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 11859-जि. भू. अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-1	कोनियापार ब. नं. 81 प.ह.नं. 115	0.86	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 11860-जि. भू. अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-2	सिमरिया ब. नं. 573 प.ह.नं. 80/47	2.38	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 11861-जि. भू. अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बण्डोल	मण्डवा ब. नं. 469 प.ह.नं. 15	0.06	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-1 माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 11862-जि. भू. अ.-2015.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूँकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-1	भण्डारपुर ब. नं. 462 प.ह.नं. 126	0.63	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 21एल माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 11863-जि. भू. अ.-2015.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूँकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-1	पलारी ब. नं. 329 प.ह.नं. 129	1.04	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 23 एल माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 11864-जि. भू. अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-1	लखनवाड़ा ब. नं. 532 प.ह.नं. 154	5.01	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 18एल, 19एल माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 1-एलए-13-14-न.श.-प्र. क्र. 1-अ-82-13-14-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल नं. अर्जित किया जाने वाले (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	हुजूर	भोपाल	ख. नं. रकबा वर्गमीटर	आयुक्त नगर निगम भोपाल	मोती मस्जिद मार्ग चौड़ीकरण बीआरटीएस.
			1785/1326 165.84		
			1835/1326 6.51		
			1785/1313 363.87		
			1791/1313 113.91		
			कुल कितता . . 650.13		

टीपः—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, शहर वृत्त भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. 2386-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—हिनौता पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.190 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

28	0.004
29	0.016
31	0.004
32	0.072
33	0.004
34	0.049
35	0.041
योग	0.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “पुरवा नहर की चचाई वितरक की मोहरबा सब-माइनर नं.-1” का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2388-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—हिनौता वृत्त 588
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.167 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

815	0.048
816	0.008
817	0.044
851	0.067
योग	0.167

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “पुरवा नहर की चचाई वितरक की मोहरबा सब-माइनर नं.-1” का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 3-भू.अ.-अ-82-14-15-सा-1-सात-2838.—चूंकि, राज्य शासन, को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्र. एकल सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:—ग्राम बिशनखेडी से ग्राम बरखेडा नाथू आवागमन के लिए मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बरखेडा नाथू की निजी भूमि का अर्जन.

- (क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—बरखेडा नाथू
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.145 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	रकबा (हेक्टेर में) (2)
374	0.155
345/1/1	0.005
345/1/2	0.030
345/1/3	0.030
345/2/2/1	0.010
345/2/2/2	0.010
345/2/2/3	0.010
345/2/1	0.030
346	0.025
348/1	0.090
168/1/1	0.020
168/1/2	0.020
168/2/1	0.060
168/2/2	0.200
379/2/2	0.010
371	0.020
372/1	0.040
372/2	0.100
572/372/1	0.060
572/372/2	0.040
348/2/1	0.020
348/2/2	0.130
348/3	0.020
379/2/3	0.010
योग	1.145

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील हुजूर, भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 02-अ-82 वर्ष 2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—हटा
(ग) नगर/ग्राम—मडियादो, डांडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.93 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम—मडियादो	
1117 में से	0.11
1118 में से	0.24
ग्राम—डांडी	
3 में से	0.55
योग	0.93

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—सुनार नदी कांटी घाट पर पुल निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82 वर्ष 2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—हटा
(ग) नगर/ग्राम—वर्धा, खैरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.53 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम—खैरा	
4/1 में से	0.01
4/2 में से	0.25
4/3 में से	0.02
5/2	0.06
6 में से	0.09
14/2 में से	0.22
34 में से	0.13
ग्राम—वर्धा	
2871 में से	0.20
2870 में से	0.14
3017 में से	0.41
योग . . .	1.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—सुनार नदी खैराखैरी घाट पर पुल निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

संशोधित अधिसूचना

प्र. क्र. 04-अ-82 वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—मुआरी, हरदुआघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.85 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम—मुआरी	
33/1 में से	0.12
33/2 में से	0.12
33/3 में से	0.26
35 में से	0.01
36 में से	0.01
33/4 में से	0.02
32/3 में से	0.04
ग्राम—हरदुआघाट	
257/1 में से	0.21
257/2 में से	0.06
योग . . .	0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ब्यारमा नदी पर पुल निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(1)	(2)
178/3	0.07
180/1	0.14
165	0.36
166	0.11
164	0.06
10	0.01
8/1	0.03

योग (अ). . 1.34

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 16 दिसम्बर 2015

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

11	0.03
9	0.02

योग (ब). . 0.05

योग (अ)+(ब) 1.39

क्र. 11865-भू-अर्जन.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—संगई, प.ह.नं. 116, ब नं.-594,
रा. नि. म.
सिवनी भाग-1.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.39 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
172/1	0.22
172/2	0.03
177	0.07
171	0.05
178/2	0.09
178/1	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 11866-भू-अर्जन.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—गंगई, प.ह.नं. 82, ब नं.-149,
रा. नि. म. सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.83 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
186/1	0.13
186/2	0.10
203	0.14
204/1	0.09
205	0.16
222	0.24
219	0.02
220	0.07
225/2	0.13
225/1	0.06
229	0.10
230	0.05
228/1	0.01
228/2	0.08
231/1	0.16
197	0.11
195	0.15
योग (अ).	1.80

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

221	0.01
215	0.02
योग (ब).	0.03
योग (अ)+(ब)	1.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पंच व्यववर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पंच व्यववर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 11867-भू-अर्जन.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—चावड़ी, ब नं.-167, प.ह.नं.128,
रा. नि. म. सिवनी भाग-1.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.98 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
92/2	0.15
92/3	0.02
74	0.38
73	0.07
68	0.16
48	0.10
49	0.14
51	0.10
50	0.08
43	0.21
41/1	0.15
42	0.36
योग (अ).	1.92

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	(1)	(2)
76	0.06	
योग (ब).	0.06	
योग (अ)+(ब)	1.98	
	4	0.02
	37/1	0.09
	38	0.10
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली माइनर नहर क्रमांक-22 के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	39	0.03
	47	0.06
	46	0.02
	51/1	0.02
	266/3	0.08
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.	265	0.11
	264	0.08
	260	0.06
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	258/2	0.05
	256/2	0.06
	256/1	0.06
क्र. 11868-भू-अर्जन.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	238/2	0.10
	238/3	0.13
	238/1	0.16
	237/5	0.16
	237/2	0.13
	196	0.07
	195	0.04

योग (अ). . . 1.73

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	
(क) जिला—सिवनी		
(ख) तहसील—सिवनी		
(ग) नगर/ग्राम—बिनेकी, प.ह.नं.118, ब नं.-415, रा. नि. म. सिवनी भाग-1.	49	0.02
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.83 हेक्टेयर में.	50	0.01
	261	0.02
(अ) निजी भूमि का विवरण	259	0.02
खसरा	241	0.02
नम्बर	215	0.01
(1)	(2)	योग (ब). . . 0.10
2/2	0.01	योग (अ)+(ब) 1.83
3	0.09	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	(1)	(2)
	59	0.01
	55/2	0.21
	53	0.11
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.	257/2	0.01
	226	0.16
	228/1	0.01
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	305/1	0.08
	205/2	0.06
	305/3	0.06
	306	0.10
	307/4	0.07
	307/1	0.01
	326/1	0.06
	326/2	0.08
	326/3	0.15
	326/4	0.17

सिवनी दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. 11895-भू-अर्जन.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—करहैया, प.ह.नं.118, ब नं.-48, रा. नि. म. सिवनी भाग-1.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.22 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
329	0.06
65/2	0.12
67	0.19
61	0.19
60	0.25

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

76	0.02
318	0.04

योग (ब). . . 0.06

योग (अ)+(ब) 2.22

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 28th September 2015

No. 903-Confdl.-2015-II-2-1-2015.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting two days' **Workshop on—Key issues under the Prevention of Corruption Act, 1988** for the Judges dealing cases under the Act on **10-10-2015 & 11-10-2015** in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop.

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates, summons should not be issued. However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates.
3. The participants shall report by **9.30 a.m.** on **10-10-2015** in the Lacture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Building, Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during the entire duration of the Workshop.
5. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find it beneficial.
6. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Academy to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A.G. I on Mobile No. **08878747939** or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. **09713717147** or to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on Telephone No. **0761-2628679** at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participant's luggage to the parked vehicles. The judicial officers

included in the Workshop will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only) according to their programme.

8. The Guest House of the Academy is located on the second and third floors of the MPSJA building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules. However, it would not be possible for the Academy to make arrangements for pick up from and drop back to such place.
9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants a day prior to the commencement of Workshop and upto 10.00 a.m. on the succeeding day of the end of Workshop.
10. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during the period of stay for the Workshop, free of charge.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
VED PRAKASH, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्र. सी-4286-दो-2-38-2006.—श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2015

क्र. बी-4592-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डलेश्वर को दिनांक 22 से 26 अगस्त 2015 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्र. बी-4623-दो-2-36-15.—श्री के. के. त्रिपाठी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्र. सी-4854-दो-2-24-2014.—श्री अरुण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 14 सितम्बर 2015 का, एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्र. ए-5040-दो-2-69-2000.—श्री आनंद मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर का दिनांक 26 से 28 नवम्बर 2015 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. ए-5042-दो-2-24-2014.—श्री अरुण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 4 से 5 नवम्बर 2015 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. सी-5028-दो-2-109-2006.—श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को दिनांक 5 नवम्बर 2015 का, एक दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. डी-6379-दो-2-46-2015.—श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 26 से 28 नवम्बर 2015 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 नवम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. डी-6381-दो-2-19-2013.—श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 16 से 18 नवम्बर 2015 तक, तीन दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

विशेष विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्र. 7924-3630-अका.-2015-विपप्र.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुये नई व्यवस्था लागू की गई है जो दिनांक 1 जुलाई, 2015 से प्रभावशील है.

(2) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 1115-1395-2015-1-9 दिनांक 25-8-2015 द्वारा गत विभागीय परीक्षा जो केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये माह सितम्बर, 2015 में आयोजित की गई थी, के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये एक विशेष परीक्षा पूर्व पाठ्यचर्या अनुसार दिनांक 18-1-2016 से 23-1-2016 के मध्य मध्यप्रदेश के समस्त संभागायुक्तों द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगी :—

स. क्र.	प्रश्न पत्र का विषय	समय
(1)	(2)	(3)
	18 जनवरी, 2016	
1.	प्रश्नपत्र-प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) एवं भू-अभिलेख राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	प्रश्नपत्र-द्वितीय दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (दाण्डिक मामलों में आदेश एवं निर्णय का लिखा जाना) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
	19 जनवरी, 2016	
3.	प्रश्नपत्र-प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी, (बिना पुस्तकों के) भू-अभिलेख, राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.
4.	प्रश्नपत्र-प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-सी, (बिना पुस्तकों के) भू-अभिलेख, राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.
5.	प्रश्नपत्र-द्वितीय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख, राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
	20 जनवरी, 2016	
6.	प्रश्नपत्र-तृतीय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व के मामलों में आदेश का लिखा जाना) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.
7.	प्रश्नपत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख, एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

21 जनवरी, 2016

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 8. प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10.00 से दोपहर
1.00 बजे तक. |
| 9. प्रश्नपत्र-द्वितीय लेखा (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक. |

22 जनवरी, 2016

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 10. प्रश्नपत्र-पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया भू-अभिलेख, पंचायत एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10.00 से दोपहर
1.00 बजे तक. |
| 11. "हिन्दी" निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिए. | दोपहर 2.00 बजे से
शाम 3.00 बजे तक. |

23 जनवरी, 2016

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 12. प्रश्नपत्र प्रथम-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-ए (बिना पुस्तकों के) भू-अभिलेख, राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10.00 से दोपहर
1.00 बजे तक. |
|---|---------------------------------------|

नोट.—(1) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे, कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होंगी.

(2) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.

(3) सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्र. एफ 1-15/77-1/अ.स./जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. इन प्रमाण-पत्रों को आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, म. प्र., भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को दिनांक 5 जनवरी, 2016 तक भेजेंगे.

(4) जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. यह प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

(5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, अनुसूचित जाति/जनजाति दर्शाकर कोस्टक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रामक उल्लेख परीक्षार्थियों की सूची में न किया जाये.

सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.